Shri Govind Guru University, Godhra
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)

નં.એસજીજીયુ/વહીવટ/૨૦૨૦/૩૪૫૮ તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૦

પરિપત્ર- ૨૧૭૬

વિષય- એસ.સી., એસ.ટી. સેલની રચના કરવા બાબત.

સંદર્ભ - યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમીશનનો તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૦નો પત્ર ક્રમાંક: **D.O.No.F.1-7/2011(SCT)**

શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓને ઉપરોક્ત સંદર્ભ દર્શિત યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમીશનના પત્ર અને માનનીય કુલપતિશ્રીના સુચન અનુસાર યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમીશનની ગાઈડલાઈન અનુસાર આપની કોલેજમાં એસ.સી, એસ.ટી વિદ્યાર્થી અને કર્મચારીના હિતોના રક્ષણ કરવા તથા તેમને થયેલ અન્યાય અંગેની ફરિયાદ લેખિતમાં વિભાગને મળે અને ફરિયાદને અનુરૂપ જે-તે જગ્યાએ રજૂઆત કરી તેનું નિવારણ કરી ન્યાય અપાવવા માટે એસ.સી, એસ.ટી. સેલની રચના આપની કોલેજ કક્ષાએથી કરવાની રહેશે. સેલની રચના કરેલ માહિત યુનિવર્સિટી એક્ટીવીટી પોર્ટલ https://ugc.ac.in/uamp/ દર્શાવેલ લીંક પર તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં મોકલવાની રહેશે.

કા.કુલસચિવ
શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી
ગોધરા

બિડાણ- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ,

- શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કર્યવાહી કરવા સારું.

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O. No.F.1-7/2011(SCT)

14th September, 2020

Sub:- Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education –reg.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, the University Grants Commission is continuously monitoring the Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Educational Institutions. Further, the University Grants Commission has issued letters dated 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.9.2016, 15.5.2017, 4.06.2018 and 26.06.2019 requesting you to take the following action:

- The Officials/faculty members should desist from any act of discrimination against SC/ST students on grounds of their social origin.
- The University/Institute/College may develop a page on their website for lodging such complaints of caste discrimination by SC/ST students and also place a complaint register in the Registrar/Principal Office for the purpose. If any such incident comes to the notice of the authorities, action should be taken against the erring official/faculty members promptly.
- The university and colleges should ensure that no official/faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students.
- The University may constitute a committee to look into the discrimination complaints received from the SC/ST/OBC Students /Teachers and non-teaching staff.

You are also requested to advise the officials/ faculty members of your university/ Institute to be more sensitive while dealing with incidents of caste discrimination, and provide the information as per the prescribed format, on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at link https://ugc.ac.in/uamp/) latest by **25.09.2020.**

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

With kind regards.

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl: As above.

The Vice-Chancellor of All Universities.

Action Taken Report of Universities/Institutions to prevent caste based discrimination for the year 2019-20.

Name of the University/Institution:

Sl. No.	Item	ActionTaken		
		SC	ST	OBC
1	Whether the University/Institution has constituted any Committee to look into the complaints of discrimination received from SC/ST/OBC students/teachers/non-teaching staff, give details thereof.			
2	Whether the University/Institution has developed a page on its website for lodging complaints of caste based discrimination by SC/ST/OBC students. Give URL and details thereof.			
3	Whether the University/Institution is maintaining the Complaint Register and the mode of action taken on the complaint of caste based discrimination.			
	(i) Number of complaints received during the last one year.			
	(ii)Out of the total complaints received number of complaints settled/solved.			
	(iii)Whether any suicidal type of action reported in the complaints (number).			
	(iv)Action taken in case incident comes to the notice of the authority against official/faculty.			
4	Whether the University/Institution has any Cell to look into the complaints of discrimination against SC/ST/OBC received from the affiliated/constituent college.			
	(i)Mode of solving the College problems			
	(ii) Number of complaints received and solved			
	(iii)Type of instructions issued to the College against caste discrimination			

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ0शा0 पत्र संख्या एफ.1–7/2011 (एससीटी) 14 सितम्बर, 2020

विषयः उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.05.2017, 04.06.2018 तथा 26.06.2019 के पत्र जारी किए हैः

- अधिकारी/संकाय सदस्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विरुद्ध उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधारपर किसी भेदभाव पूर्ण कृत्य से बचना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते है साथ ही वे कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना प्राधिकरणों के ध्यान में आती है तो चूककर्ता अधिकारी/संकाय सदस्य के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय अथवा श्रेणी के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अधिकारी/संकाय सदस्य को जातिगत भेदभाव की घटनाओं के मामलों पर कार्यवाही करते हुए अधिक संवेदनशील रहने का परामर्श दें और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल **(UAMP)** के लिंक https://ugc.ac.in/uamp/ पर पर विहित प्रपत्र में **25.09.2020** तक सूचना प्रदान करें।

उपयुक्त अनुदेशों को आपके विश्वविद्यालय के सभी संघटक तथा संबंद्ध महाविद्यालयों को भी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाए।

सादर

भवदीय,

(रजनीश जैन)

संलग्नः यथोपरि

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निराकरण के लिए कृत कार्यवाही रिपोर्ट वर्ष 2019–2020				
विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम :				
क्रम संख्या	मद	कृत कार्यवाही		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों / शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए किसी समिति का गठन किया हैं ?			
2	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव का शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित किया है ? कृपया यूआरएल तथा तत्संबंधी ब्योरा दें।			
3	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान प्राप्त जातिगत आधारित भेदभाव की शिकायतों पर कृत कार्यवाही हेतु शिकायत रजिस्टर का रखरखाव कर रहा हैं ?			
	(i) पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या			
	(ii) कुल प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें सुलझाई गई / निपटाई गई ?			
	(iii) क्या शिकायत में किसी आत्महत्या जैसी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई (संख्या)			
	(iv) घटना के प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर अधिकारी / संकाय के विरुद्ध की गई कारवाई			
4	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान में संघटक तथा संबंद्ध महाविद्यालयों से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के विरुद्ध भेदभाव की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए कोई प्रकोष्ठ है ?			
	(i) महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने की पद्धति			
	(ii) प्राप्त हुई कुल शिकायतों तथा सुलझाए गए मामलों की संख्या			
	(iii) जातिगत भेदभाव के विरुद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदेशों का स्वरुप			